विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(पटल कार्यालय)

संख्याः47/वि०स०/प०का०/76(प)/2005

लखनऊः दिनांक 15 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-रामपुर, 34 स्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे,

और, चूंकि, श्री मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, सदस्य विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34 स्वार, जनपद-रामपुर को वाद संख्या 366/2022 कम्प्यूटर संख्या 45686/22 मु०अ०स०-01/2008 थाना छजलैट, जनपद-मुरादाबाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4, मुरादाबाद द्वारा धारा-353, 341 भा०द०वि० व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 3000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतएव भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या 490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार दिनांक 13 फरवरी, 2023 से निरर्ह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां का उक्त स्थान दिनांक 13 फरवरी, 2023 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,

(मोहम्मद मुशाहिद)
विशेष सचिव।

संख्याः 47(1)वि०स०/प०का०/76(प)/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि उप निदेशक, राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को उक्त दिनांक के सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित करने एवं उसकी 15 प्रतियां इस सचिवालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मोहम्मद मुशाहिद)
विशेष सचिव।

संख्याः 47(1-8) वि०स०/प०का०/76(प)/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1-मा० राज्यपाल के प्रमुख सचिव को मा० राज्यपाल की सूचनार्थ,

2-उत्तर प्रदेश विधानसभा के समस्त सदस्यगण,

3-जिलाधिकारी रामपुर,

4-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

5-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

WWW.LIVELAW.IN